संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक अ.प्रशा./सेल–6/एफ–70/09/642 भोपाल, दिनांक 25/06/2009

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश

विषयः–इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एवं अल्टरनेटिव –सिस्टम ऑफ मेडिसिन की चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता/अमान्यता बाबत्।

———00———

मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के अन्तर्गत प्रदेश में समस्त मान्य चिकित्सा पद्धतियों के अन्तर्गत संचालित सभी नर्सिंग होम, निजी चिकित्सालय, प्रयोगशालाएं, डायोग्नोस्टिक सेन्टर, रेडियोइमेंजिंग सेन्टर, परामर्श केन्द्र एवं अन्य क्लीनिकल इस्टेब्लिश्मेन्टस का पंजीयन अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन में कई जिलों से विषयान्तर्गत उल्लेखित चिकित्सा पद्धतियों तथा बेसिक मेडिकल प्रेक्टिश्नर आदि चिकित्सा व्यवसाईयों के संबंध में स्पष्टीकरण/विधि सम्मत स्थिति की जानकारी चाही जा रही है जिस पर निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया जाता है :–

1. मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम, 2008 के खण्ड 2 उपखण्ड (च) में ''मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान पद्धति'' परिभाषित की गई है जो केवल निम्न है :–

   (एक) भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के अर्थ के अन्तर्गत आयुर्विज्ञान की आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति (एलौपैथिक);
   (दो) मध्यप्रदेश होम्योपैथिक परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) की धारा 2 के खण्ड (घ) के अर्थ के अन्तर्गत आयुर्विज्ञान की होम्योपैथिक और जीव रसायन (बायोकेमिक) पद्धति ;
   (तीन) मध्यप्रदेश आयुवैदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5 सन् 1971) की धारा 2 के अर्थ के अन्तर्गत आयुर्विज्ञान की आयुवैदिक पद्धति, यूनानी पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति।

   मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम 1973 (संशोधन 2006) के खण्ड 2 (ख) में भी ''चिकित्सा'' को परिभाषित किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में और कोई मान्य चिकित्सा पद्धति नहीं है।

2. मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम, 2008 के खण्ड 2 उपखण्ड (छ) में ''रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी'' (रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिश्नर) को भी परिभाषित किया गया है। जो निम्नानुसार है :–

   ''रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी'' से अभिप्रेत है किसी विधि के अधीन आयुर्विज्ञान की मान्यता प्राप्त पद्धति अर्थात् आधुनिक पद्धति (एलोपैथिक), आयुर्वेदिक तथा यूनानी आयुर्विज्ञान पद्धति, सिद्ध और प्राकृतिक तथा होम्योपैथिक और बायोकेमिक आयुर्विज्ञान पद्धति में अर्हित कोई चिकित्सा व्यवसायी और जो उक्त आयुर्विज्ञान पद्धति के राज्य चिकित्सीय रजिस्टर में सम्यक् रूप से नामांकित हो (इसमें वे भी सम्मिलित हैं, जिनका अस्थायी रजिस्ट्रीकरण है) ।

   इस परिभाषा के बाहर प्रदेश में अन्य कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिश्नर नहीं है।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम 1973 (संशोधन 2006) की धारा 7–ग के अनुसार अभिधान ''डॉक्टर'' का उपयोग केवल मान्य चिकित्सा पद्धतियों में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिश्नर्स ही कर सकते है। अपात्र व्यक्ति द्वारा उक्त अभिधान का उपयोग चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम 1973 की धारा 8(2) के अन्तर्गत 3 वर्ष का कारावास या रूपये 50 हजार का जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है।

4. मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम–1973 के नियम–1997 (संशोधन 16 नवम्बर 2007) के नियम 5 तथा 6 के प्ररूप ''ख'' तथा ''खख'' में केवल मान्य चिकित्सा पद्धतियों के अन्तर्गत ही संचालित नर्सिंग होम, निजी चिकित्सालय, क्लीनिकल इस्टेब्लिश्मेन्टस के रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन का प्रावधान है।

उपरोक्त स्पष्टीकरण के संदर्भ में यद्यपि ''इलेक्ट्रोहोम्योपैथी/अल्टरनेटिव मेडिसिन, इन्डोएलोपैथी'' मान्य चिकित्सा पद्धतियां नहीं है, इनके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश एवं दिल्ली के कुछ आदेश है जिन पर विधि सम्मत अभिमत लिया जा रहा है अतः अभिमत प्राप्त होने तक इस पैथी में प्रेक्टिस कर रहे व्यक्तियों पर कोई कार्यवाही न की जाए । किन्तु मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम–1973 के अन्तर्गत इनका पंजीयन भी न किया जाए, क्योंकि यह देश के विधान अनुसार स्थापित पद्धतियां नहीं है। साथ ही ऐसे चिकित्सा व्यवसायी अभिधान ''डॉक्टर'' का उपयोग करने हेतु पात्र नहीं है।

उपरोक्त पैरा–1 में उल्लेखित चिकित्सा पद्धतियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के चिकित्सा व्यवसायी तथा बेसिक मेडिकल प्रेक्टिश्नर आदि अवैध चिकित्सा व्यवसायी है। जिनके विरूद्ध विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

क्योंकि मान्य चिकित्सा पद्धतियों के अन्तर्गत भी कई लोग बोगस प्रमाण पत्रों/पंजीयन अभिलेखों के आधार पर चिकित्सा संस्थाएं संचालित कर रहे है अतः पंजीयन से पूर्व समस्त चिकित्सा व्यवसाईयों का संबंधित चिकित्सा परिषद/बोर्ड आदि से पुष्टिकरण अनिवार्य रूप से किया जाना भी सुनिश्चित करें ।

हस्ताक्षर/–
(डॉ. अशोक शर्मा)
संचालक चिकित्सा सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक अ.प्रशा./सेल–6/09/643 भोपाल, दिनांक 25/06/2009

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. संभाग आयुक्त, भोपाल एवं नर्मदापुरम/इन्दौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर /सागर/रीवा/शहडोल तथा चंबल संभाग।
3. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, म.प्र.।
5. आदेश फाइल।

हस्ताक्षर/–
संचालक चिकित्सा सेवायें,
मध्यप्रदेश